

मंत्री (श्री झाई० के० गुजराल) : (क) बृहत् योजना के अनुसार दिल्ली के विकास को बढ़ावा देना तथा सुनिश्चित करना ।

(ख) कोई मादात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ग) तथा (घ). निम्न तथा माध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को प्लाट अर्जन, विकास आदि की लागत पर आधारित दरों पर आबंटित किये जाते हैं । कुछ मामलों में दर, मुख्यतः निम्न कारणों से बढ़ गई है :

- (i) न्यायालयों द्वारा भूमि के मुआवजे का बढ़ाया जाना ।
- (ii) विकास की लागत में वृद्धि, इसमें दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा मांगी गई बिजली की लागत भी शामिल है ।
- (iii) छोटे प्लॉटों के अधिक संख्या में काटने हेतु ले-आऊट प्लान में परिवर्तन ।

मामले की जाँच के लिये एक समिति नियुक्ति की गई है ।

निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों के व्यक्तियों को भूखण्डों का आबंटन

80. श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट : क्या निर्वाण और झावाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न भागों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए दिये गये मुआवजे की दरें क्या हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की भूमि के विकास पर उसके द्वारा किये गये प्रति वर्ग मीटर व्यय की राशि कितनी है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक गन तीन वर्षों में नीलाम किये गये और आबंटित किये गये भूखण्डों की प्रति वर्ग मीटर दरें क्या हैं; तथा तत्संबंधी वर्ष-वार व्योरा क्या है; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भूखण्डों की नीलामी द्वारा बिक्री करके भारी मुनाफा कमाने और निम्न और मध्यम आय वर्गों वाले व्यक्तियों के लिये लाटरी द्वारा या उचित दरों पर आबंटन न करने के क्या कारण हैं ?

निर्वाण और झावाल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री झाई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली में भूमि दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित की जाती है तथा मुआवजा दिया जाता है । मुआवजे की दर का निश्चित निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि बढ़ोत्तरी तदन्तर न्यायालय द्वारा अक्सर दी जाती है । तथापि, उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित विभिन्न क्षेत्रों के लिए अर्जन का पूलित मूल्य लगभग 5 रुपये से 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच होता है जो अर्जित भूमि की स्थिति पर निर्भर है । प्रत्येक योजना के विकास की लागत भी पृथक-पृथक होती है । विकासार्थ लिए गये सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए यह लगभग 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर होती है ।

(ख) सूचना मालूम की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) विकसित भूमि का नीलामी द्वारा निपटान करना सरकार की नीति है, सिवाय निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के जैसे उन मामलों में जो अपवाद स्वरूप श्रेणियों में आते हैं, उन्हें लाटरी द्वारा रिहायशी प्लाट पूर्व निर्धारित (अधिग्रहण की तथा विकास इत्यादि की लागत पर आधारित) दरों पर आबंटित किये जाते हैं । नीलामी के लिए प्लाटों के विकास के साथ-साथ, दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के आबंटन के लिए प्लाटों को विकसित भी कर रहा है ।